न्यायालय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना (ढ़ाका), पूर्वी चम्पारण

घोड़ासहन थाना कांड संख्या– 316 ⁄ 19

30.11.19

काराधीन अभियुक्त चंदन कुमार तथा रामबाबू साह की ओर से दाखिल दिनांक 29.11.2019 के जमानत आवेदन को चालित करते हुए इनके विद्वान विधिज्ञ श्री राजेश कुमार का कहना है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं किए है तथा धारा 392 भा.दं.वि. का आरोप प्राथमिकी के अवलोकन से नहीं बनता है। इनका यह भी कहना है कि अभियुक्तों का नाम प्राथमिकी में नहीं है तथा अनुसंधान के दौरान इनका नाम आया है। इनका यह भी कहना है कि अभियुक्तगण घटना स्थल पर गिरफ्तार नहीं हुए है और न ही इनके पास से कोई सामान बरामद हुआ है तथा अभियुक्तगण दिनांक 22.10.2019 से कारा में है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाये।

प्रतिउत्तर में अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुना।

चूंकि प्राथमिकी धारा 392 भा.दं.वि. के अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत हुयी है तथा अभियुक्तगण घोड़ासहन थाना कांड संख्या 322 ⁄ 19 दिनांक 18.08.2019 से इस कांड में रिमाण्ड किया गया है तथा पुलिस द्वारा अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है तथा घोड़ासहन थाना कांड संख्या 322 ⁄ 19 में अभियुक्तों का पुलिस के समक्ष संस्वीकृति ब्यान दर्ज किया गया है जो कांड दैनिकी के पैरा 42 में अंकित है। अभियुक्तों ने अपने संस्वीकृति ब्यान में इस घटना में संलिप्तता स्वीकार किए है। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है तथा कांड दैनिकी के स्वतंत्र गवाहों ने भी अभियुक्तों की इस कांड सें संलिप्तता बतायी है। वाद अनुसंधान में चल रहा है। अभियुक्तगण दिनांक 22.10.2019 से कारा में है। धारा 392 भा.दं.वि. अजमानतीय तथा संगीन अपराध है।

अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त चंदन कुमार तथा रामबाबू साह ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी
सिकरहना स्थित ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 30.11.2019